

प्रेषक,

सुनील कुमार,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिशनर,  
वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

राज्य कर अनुभाग-6

विषय: फिल्म "द कश्मीर फाइल्ज़" को प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फिल्म "द कश्मीर फाइल्ज़" को मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश संख्या-612/11-6-2017-एम(43)/17 दिनांक 09.08.2017 में उल्लिखित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

- (1) फिल्म के प्रदर्शन के लिये सम्बंधित सिनेमा/मल्टीप्लेक्स की प्रवलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी और न ही विभिन्न वकासों के आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।
- (2) प्रदेश में, फिल्म को एक समय में अधिकतम 200 प्रिंट-वीक की समय सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति इस प्रकार की जा सकेगी कि फिल्म की संख्या एवं सप्ताह की संख्या का गुणाक 200 प्रिंट/स्क्रीन वीक से अधिक नहीं होगा। इस सम्बंध में स्पष्ट करना है कि यदि प्रदेश में 200 प्रिंट द्वारा फिल्म का प्रदर्शन एक साथ किया जाता है तो प्रतिपूर्ति की अवधि एक सप्ताह के लिये होगी। यदि प्रिंट की संख्या को कम किया जाता है तो उसी अनुपात में सप्ताह की संख्या बढ़ जायेगी किंतु उक्त सीमा 200 प्रिंट वीक से अधिक नहीं होगी एवं उपभोग की पूरी अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी।
- (3) मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के स्वामियों को इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के अन्दर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के दौरान, एस.जी.एस.टी की धनराशि को घटा कर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जायेगा।
- (4) ऐसी फिल्मों में आगणित राज्य माल और सेवा कर की धनराशि को, मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के स्वामियों द्वारा अपने पास से, राजकोष में उसी विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी, जैसे इस नीति के अतिरिक्त प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों हेतु विहित है।

कृपया तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

  
 (सुनील यादव)  
 उप सचिव

संख्या-31 (1) / 11-6-2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा कमिशनर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ)
- 2- सुश्री पल्लवी जोशी, निर्माता, आई0एम0 बुद्धा इन्टरटेनमेन्ट एण्ड मीडिया एल0एल0पी0, 403, ज्वेल महल, वरसोवा मुम्बई-400061
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील यादव)  
उप सचिव

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश

संख्या- ॥३५ / प्र०क०-०२ / २०२१-२२

दिनांक १६-०३-२०२२

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त डिप्टी कमिशनर/असिस्टेंट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी (प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर कार्य) उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित समस्त सिनेमा/मल्टीप्लेक्स स्वामियों को इस शासनादेश से अवगत कराते हुये इसका अनुपालन कराना एवं शासनादेश संख्या-६९० दिनांक ०३.१२.२०१८ के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपूर्ति हेतु सुसंगत अभिलेखों को संरक्षित एवं सत्यापित करना सुनिश्चित करें।
4. ज्वाइंट कमिशनर(आई0टी0), विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
5. असिस्टेंट कमिशनर, वाणिज्य कर, जवाहर भवन, मुख्यालय लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

16/03/2022  
(सुधा वर्मा)  
एडीशनल कमिशनर,  
वाणिज्य कर, उ0प्र0।